न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम
अलवर

अनवान ......लखीराम...... बनाम ......नगरसिंह......
किस्म मुकदमा......212 RT Act...... मु0नं0......206...... सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
23.09.2021	प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंग्न दस्तावेजात के अवलोकन व शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण आगामी पेशी दिनांक 25.10.2021 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित हाल आ0ख0नं0 189 / 0.7461, 187 / 0.6196 है0 वाके ग्राम कोटकासिम तह0 कोटकासिम जिला अलवर राज0 के राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति कायम रखे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा रोडा एक्ट पत्रावली पर प्रभावी नही होगी। आगामी पेशी दिनांक तक रजिस्टर्ड रसीद पेश नही करने पर यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त समझी जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 25.10.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम
	3/1/22 PKUS [illegible] पत्रावली ~~कैम्प कोर्ट~~ में पेश हुई। पत्रावली का निस्तारण नहीं होने से आईन्दा पत्रावली न्याया0 हाजा में दिनांक 24/3/22 को पेश हो। एस डी ओ/ रीडर
	24/3/22 वजुलाय फरीकेन उपस्थित अधिवक्तागण ने कार्य स्थगन किया हुआ है। बहुदिश पालना में दि0 19/5/22 को पेश होवे।
19/5/22	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी का मूल वाद [illegible], अगली पेशी से खारिज किया जा चुका है और मूल वाद के इस प्रार्थना पत्र में कोई औचित्य नहीं रह जाता। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।